

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक / गोप. / 2018 / २७


दिनांक- 12/07/2018

अधिसूचना

वर्ष 2017-18 में आयोजित सेमेस्टर/मुख्य परीक्षाओं में परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करने एवं परीक्षा संचालन में संबंधित व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार या अनुचित आचरण करने के प्रकरण परीक्षा केन्द्रों में प्राप्त हुये थे, उन पर परीक्षा संचालन संबंधी अध्यादेश क्रमांक 05 के चरण 21 के अधीन नियुक्त अनुचित साधन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संलग्न सूची में परीक्षार्थियों को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार दण्डित किया गया है या उनको दोषमुक्त किया जाकर परीक्षाफल घोषित किया गया है ।

स्नातक स्तर के जिन परीक्षार्थियों का किसी विषय/समूह का कोई भी प्रश्नपत्र निरस्त किये जाने पर पूर्ण विषय/समूह निरस्त माना जावेगा एवं जो छात्र ए.टी.के.टी./पूरक परीक्षा में प्रविष्ट हुये थे उनका नकल प्रकरण संबंधित विषय ही निरस्त माना जायेगा ।

आदेशानुसार




सहा.-कुलसचिव (गोपनीय)

क्रमांक / गोप. / 2018 / २७ (अ)

प्रतिलिपि -

दिनांक-12/07/2018

1. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।
2. कुलसचिव, समस्त भारतीय विश्वविद्यालय ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल
4. अतिरिक्त सचिव, उच्च शिक्षा, भोपाल ।
5. कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल ।
6. समस्त अधिकारीगण, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



सहा.-कुलसचिव (गोपनीय)